

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी शाहाबाद, जिला बारां राजस्थान

पीठासीन अधिकारी :- श्री मुकेश चन्द्र मीना (आर.ए.एस.)

अपील संख्या 08/23

दायरा दिनांक 18.12.2023

मैमर्स गुजारी कृषि केन्द्र रजिस्टर्ड कार्यालय डिग्गी हाउस सी स्कीम जयपुर जय
भागीदार गिरवरसिंह पुत्र श्री रतनसिंह जाति राजपूत निवासी सांवरद तहसील लाडनू
जिला नागौर राज.

- अपीलान्ट

-: बनाम :-

1. ग्राम पंचायत बीलखेडाडांग जय सरपंच ग्राम पंचायत बीलखेडाडांग तहसील शाहावाद जिला बारां राजस्थान
2. राजस्थान सरकार जय तहसीलदार शाहावाद जिला बारां राजस्थान

- रेस्पोंडेन्टस

अपील विरुद्ध आदेश ग्राम पंचायत बीलखेडाडांग नामान्तरकरण संख्या 251 ग्राम
गुजारी डांग दिनांक 14.12.2011

निर्णय-दिनांक 27.05.2024

उपस्थित- अपीलान्ट की ओर से - श्री अजय अग्रवाल एडवोकेट
रेस्पों. की ओर से - एकपक्षीय

अपील के तथ्य इस प्रकार हैं कि यह कि ग्राम गुजारी पटवार हल्का बीलखेडाडांग तहसील शाहावाद में अपीलान्ट के खाते की भूमि खाता संख्या 66 ख.नं. 319 रकबा 0.19 बीघा, ख.नं. 320 रकबा 0.16 बीघा किता 2 कुल रकबा 1.15 बीघा हिस्सा 1/8 तथा खाता संख्या 104 ख.नं. 517/658 रकबा 0.07 बीघा, ख.नं. 518 रकबा 0.10 बीघा किता 2 कुल रकबा 0.17 बीघा हिस्सा 1/2 को अपीलान्ट ने खातेदार लक्ष्मणलाल पुत्र रतनलाल रघुवीर पुत्र रतनलाल बत्तीबाई पुत्री रतनलाल किराड निवासी औगाड तहसील शाहावाद से दिनांक 01.07.2011 को रजिस्टर्ड कय कर कब्जा व मालिकाना हक प्राप्त किया है और तभी से अपीलान्ट का कब्जा काशत रहा है। उक्त आराजी का नामान्तरण दर्ज कराने बावत प्रार्थनापत्र अपीलान्ट ने रेस्पों. के समक्ष पेश किया तो रेस्पों. ने मूल दस्तावेज के अभाव में नामान्तरकरण खारिज कर दिया। प्रार्थनापत्र पेश कर अपीलान्ट व्यवसाय हेतु जयपुर चला गया, इस कारण अपीलान्ट को नामान्तरकरण की जानकारी नहीं हुई। अपीलान्ट ने रजिस्टर्ड बेचान नामे की प्रमाणित प्रति प्रस्तुत कर दी थी, जिस पर रेस्पों. सरपंच ने कोई ध्यान नहीं दिया और नामान्तरकरण विधि विरुद्ध खारिज फरमा दिया। अतः अपील स्वीकार की जाकर नामान्तरकरण संख्या 251 ग्राम गुजारी पटवार हल्का बीलखेडाडांग को अपीलान्ट के हक में स्वीकार फरमाया जाकर अपीलान्ट के हक में नामान्तरकरण खोले जाने के आदेश प्रदान करें।

अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोंडेन्टस की तलबी की गई। रेस्पोंडेन्टस के बावजूद सूचना अनुपस्थित रहने से एकपक्षीय सुनवाई की गई। अपीलान्ट की एकपक्षीय बहस सुनी, पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया। अपीलान्ट की मुख्य रूप से आपत्ति यह है कि उसने ग्राम गुजारी तहसील शाहावाद की आराजी ख.नं.

1
27.05.2024
उपखण्ड अधिकारी
शाहाबाद